

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 84] नई दिल्ली, सोनवार, फरवरी 19, 1979/माघ 30, 1900
No. 84] NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 19, 1979/MAGHA 30, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation.

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 19 फरवरी, 1979

निर्यात व्यापार नियंत्रण

का. आ. 101 (अ)/सं. ई(सी)अ, 1977/ए एम(97) :—आयात-निर्यात (नियंत्रण)
अधिनियम, 1947 (1947 का 18), की खंड-3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए
केन्द्रीय सरकार निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्
द्वारा निम्नलिखित आदेश की रचना करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियंत्रण) 14वां संशोधन आदेश, 1979 की संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियंत्रण) आदेश, 1977 के भाग 'क' की अनुसूची-1 में क्रम सं. 22(15) के बाद निम्नीलिखित गद्य जोड़ा जाएगा :—

“(16)—औद्योगिक फास्फेट जिप्सम”।

[मिसिल सं. 1(8)/77-ई 2]

का.वै. शेषाद्री, मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES & CO-OPERATION

(Department of Commerce)

ORDER

New Delhi, the 19th February, 1979

EXPORT TRADE CONTROL.

S.O. 101(E)/No. E(C)O, 1977/AM(97).—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947, (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1977, namely :—

- 1 This Order may be called the Exports (Control) Fourteenth Amendment Order, 1979.
2. In the Exports (Control) Order, 1977, in Part 'A', Schedule I, the following item shall be added after S. No. 22(xv) :—
“(xvi)—Industrial Phosphate Gypsum”.

[File No. 1(8)/77-EII]

K. V. SESHADRI, Chief Controller of Imports & Exports